भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 87

सोमवार, 3 फरवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक)

नि:शक्त व्यक्तियों के लिए अवसर

87. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के नियोक्ताओं को विभिन्न राज्यों, विशेषकर पंजाब में, नि:शक्त व्यक्तियों को और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कोई उपाय किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे प्रतिष्ठानों और उनके कर्मचारियों हेतु नि:शक्तता संबंधी कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): रोजगार सृजन के साथ-साथ रोजगार क्षमता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने पंजाब राज्य सहित पूरे देश में रोजगार सृजन के लिए और सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में नियोक्ताओं को दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए अधिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), स्टैंड-अप इंडिया स्कीम, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन आदि के माध्यम से विभिन्न कदम उठाए हैं। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, सरकार ने मार्च 2015 में दिव्यांगजनों के कौशल विकास संवर्धन तथा उन्हें आत्मनिर्भर, समाज के सुयोग्य सदस्य और उत्तम रोजगार प्रदान करने के लिए दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) शुरू की है। एनएपी-एसडीपी योजना के शुभारंभ के बाद से, देश भर में अब तक 1.42 लाख दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और बढ़ाने के लिए विभिन्न कंपनियों/नौकरी एग्रीगेटर्स के साथ 20 समझौता ज्ञापनों (गैर-वित्तीय) पर हस्ताक्षर किए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिव्यांगजनों के लिए 24 राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र (पहले दिव्यांगजनों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र के रूप में जाना जाता था) की स्थापना की। ये केंद्र व्यावसायिक मार्गदर्शन, करियर परामर्श, अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रेफरल सेवाएं प्रदान करते हैं। ये केंद्र आउटरीच गतिविधियाँ भी संचालित करते हैं और व्यावसायिक पुनर्वास की प्रक्रिया में दिव्यांगजनों की सहायता करते हैं।

***